

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2022—श्रावण 14, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022

एफ-22-124-2019-आठ.— मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में पंजीकृत ऐसे समस्त लोकसेवा यान, जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद (चार) के अधीन आते हैं, को माह अप्रैल 2021 से माह जून 2021 तक के मासिक कर के देय से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

F 22-124-2019-VIII.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhinyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, grants a full discount on the dues of monthly tax of the motor vehicle from the month of April 2021 to June 2021 for all such public service vehicles which are registered in the Madhya Pradesh and come under item (four) of First Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्वेता पवार, उपसचिव.